

पटवारी पत्र/अ 20एल03120
 में जाते की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी का पत्रादेश नं. 2075-78 के खाता संख्या 238 में
 (56 रु. 50 पैसे) पहला गुरुवार को मनीष कुमार को देकर दे दिया।
 उक्त खाता उचित है।
 उपखण्ड अधिकारी
 16/11/2021

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुदागौडजी

दिनांक :-

राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी कार्यालय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम गुरुस्त किया जाना उचित है / नहीं है। आवेदक का नाम गुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है / नहीं की जाती है।

गुरुस्त किया जाना उचित है।
 16/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी
 - आदेश :-
 दिनांक :- 16/11/21

प्रार्थी के "खाता गुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पनावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नांकित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	उदयपुरवाटी	2075-78	238	मनीष कुमार S. रु. 56.50	मनीष कुमार S. रु. 56.50

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाएगी।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक - 16/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1126-27

- प्रतिनिधि :-
1. तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौडजी को वारते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपरोक्त किया जाना है व मनेश व मनिष शर्मा नाम से जाना जाना है।

ममता
 (ममता)
 सरपंच
 ग्राम पंचायत ककराना
 पं. सं. उदयपुरवाटी (झुन्झुन)



Scanned with CamScanner